रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 19 फरवरी, 2003/30 माघ, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0)

कारण बताओ नोटिस

सोलन, 3 फरवरी, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2002.—यह कि बाबू राम उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटबेजा, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन का (हि0 प्र0) पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जो कि निम्न प्रकार है :—

(ग) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागु नहीं होगी जिसके यथास्थिति हि0प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 के प्रारम्भ होने के तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो वर्ष से अधिक जीवित संन्तान नहीं होती। अब तक एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती।

3659-राजपत्र/2003-19-2-2003—1,386. मूल्य : 1 रुपया।

अतः क्योंकि हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000, 8 जून 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि विकास खण्ड अधिकारी धर्मपुर, ने अपने पत्र संख्या एम बी0 डी0 (पंच) 2002-2003-30 दिनांक 6-1-2003 द्वारा सूचित किया है कि श्री बाबू राम उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटबेजा, विकास खण्ड धर्मपुर जिला सोलन (हि0 प्र0) के 8 जून 2001 के पश्चात् दो से अधिक तीसरी सन्तान दिनांक 1-10-01 को हुई है। जिसके कारण पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं ।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

सोलन, 3 फरवरी, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2002-728-33.—यह कि श्री भीम चन्द, सदस्य ग्राम पंचायत दसेरन, वार्ड नं0 1, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(ग) यदि उसके दो से अधिक सन्तान हैं । परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निहर्रता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान है । अब तक एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है ।

यह कि विकास खण्ड कुनिहार ने अपने पत्र संख्या के0 बी0 (पंच)/75/2001-7053, दिनांक 7 1-2003 द्वारा सूचित किया है कि श्री भीम चन्द, सदस्य ग्राम पंचायत दसेरन, वार्ड नं0 1, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक तीसरी सन्तान दिनांक 8-3-2002 को हुई है । जिसके कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गए हैं ।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

सोलन, 3 फरवरी, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2002-734-39.—यह कि श्री प्रेम लाल, सदस्य ग्राम पंचायत बसन्तपुर, वार्ड नं0 1, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जोकि निम्न प्रकार है:—

(ग) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निर्हरता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम् 2000 के प्रारम्भ होने

की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तात नहीं होती है। अब तक एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, 8 जून, 2001 को लागू हो हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है।

यह कि विकास खण्ड अधिकारी कुनिहार, ने अपने पत्र संख्या के0 बी0 (पंच) 75/2002-7053 दिनांक 7-1-2003 द्वारा सूचित किया है कि श्री प्रेम लाल, सदस्य ग्राम पंचायत बसन्तपुर, वार्ड नं0 1 विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक चौथी सन्तान दिनांक 30-10-2002 को हुई है। जिसके कारण पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के प्रावधान अनुसार सदस्य पद पर बने रहने के अयोग्य हो गये हैं।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त वर्णित अयोग्यता के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

हस्ताक्षरित/-

उपायुक्त सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय आदेश

सोलन, 10 फरवरी, 2003

संख्या सोलन-3-76(पंच)/2003-777-83.—यह कि श्रीमती हिमा देवी, सदस्य, वार्ड नं0 3 ग्राम पंचायत संधोई, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन 3-76(पंच)/2002-148-53, दिनांक 16-1-2003 द्वारा 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे। क्यों न इन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 के खण्ड(ण) के अन्तर्गत सदस्य के पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए।

क्योंकि श्रीमती हिमा देवी सदस्य, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत संधोई, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है और उसमें लगाए गए आरोप सही हैं। पंचायत पदाधिकारियों को दो सन्तानों से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया। परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक दी गई थी। इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज अधिनियम जिसके 8 जून 2001 के पश्चात दो सन्तान से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है। वह अपने पद पर रहने के अयोग्य है। ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्रीमती हिमा देवी, सदस्या, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत संधोई, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का सदस्य पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्दत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा।

अतः मैं, भरत खेड़ा (भा0प्र0से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अधीन प्राप्त हैं,

श्रीमती हिमा देवी, सदस्या, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत संधोई, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(1) के प्रावधान के अनुपालना में ग्राम पंचायत, संधोई, वार्ड नं0 3, विकास खण्ड कुनिहार, के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं।

भरत खेड़ा,
उपायुक्त सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित